न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 210/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01185
दायर दिनांक :– 03.12.2019 निर्णय दिनांक :– 23.12.2024

1. तुलछाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. रतनाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. हरचन्दराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. जीवणराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. किरताराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. धनाराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. लखु पुत्र गोपाल जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुगनाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. किसनाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. भागीरथराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
10. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 66–10 बीघा सरहद मौजा ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट पूर्व से ही प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 के पूर्वजों तथा अन्य खातेदार चैना वल्द लिछमण का कब्जा काश्त था। इसी कब्जा काश्त अनुसार वक्त

23/12/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सेटलमेंट विभाग द्वारा ग्राम राणेरी की खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी तेयार कर उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 के पूवजों गोपाल, रामू पि. आदू, धीमा वल्द मंगला व चैनों वल्द लिछमण कौम विश्नोई देह राणेरी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज की गई जो खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2015–2031 तक के खाता संख्या 26 पर दर्ज रिकार्ड है। खतौनी बन्दोबस्त अनुसार ही जमाबंदी सम्वत 2017–2020 में खाता संख्या 32 पर गोपाल व रामू पि. आदू, धीमा वल्द मंगला, चैना वल्द लिछमण बहिस्सा बराबर की प्रतिष्टी बिना किसी परिवर्तन लगातार चली आ रही थी। प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त अनुसार अपने 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे और न ही प्रार्थीगणों को उसके कब्जा काश्त की भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल ही करे जिसका यह स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

23/12/24

(सुखाराम पिंडेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)